

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प.13(51)का/क-1/गो.प्र./2022/07936

जयपुर दिनांक 29.05.2023

—:परिपत्र:—

विषय:— कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय कर्मचारी एवं अधिकारी की सत्यनिष्ठा संबंधी प्रविष्टी के संबंध में।

1. कार्मिक विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा कार्मिकों की कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय उनके सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति ईमानदारी के सम्बन्ध में सही एवं समग्र मूल्यांकन अंकित नहीं किये जाते हैं।
2. इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों का ध्यान कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुदेश-2008 के बिन्दु संख्या 16(1) के प्रति आकर्षित किया जाता है जिसमें सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित स्तम्भ को भरने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। बिन्दु संख्या 16(1) इस प्रकार है :-

“ Supervisor officers should maintain a confidential diary in which, instances that create suspicions about the integrity of a subordinate should be noted from time to time and action to verify the truth about these suspicions should be taken expeditiously by making confidential enquiries departmentally or by referring the matter to the Anti- Corruption Bureau. At the time of recording the performance appraisal, this diary should be consulted and the material in it utilized for filling up the column about integrity.”

3. अतः समस्त प्रतिवेदक/समीक्षक /स्वीकारकर्ता अधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्टी अंकित करते समय सत्यनिष्ठा सम्बन्धी बिन्दु पर कार्य मूल्यांकन अनुदेश के अनुरूप मूल्यांकन अंकित करना सूनश्चित करें।
4. उपरोक्त दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया जायें।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

Document certified by HEMANT
KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.

Digitally Signed by null
Designation : Principal
Secretary To Government
Date :30-05-2023 02:25:06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उपशासन सचिव ।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Devendra Kumar
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.05.30 15:34:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3932776

